

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रक्षा मंत्रालय धन की आवश्यकता का आकलन पूर्वानुमानित, अनिवार्य और संविदा भुगतानों, नियमित और आवर्ती व्यय तथा रक्षा सेनाओं के आगे चलते रहने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत नई योजनाओं के आधार पर सेना मुख्यालयों के परामर्श से करता है। विद्यमान सुरक्षा परिवेश और खतरे की वर्तमान संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

रक्षा मंत्रालय धन की आवश्यकता वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है जो समस्त राष्ट्रीय संसाधनों की उपलब्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए वास्तविक आबंटन के संबंध में निर्णय लेता है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें

441. श्री वेद प्रकाश पी० गोयल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने बजट आवंटन में की गई कटौती पर चिंता व्यक्त की है जिससे सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण, शस्त्र प्रणालियों के उन्नयन, आक्रमणात्मक क्षमताओं में गुणात्मक सुधार करने के लिए नई शस्त्र प्रणालियों हेतु चरणबद्ध अधिष्ठापन कार्यक्रम तैयार करने और पड़ोसी देशों सशस्त्र सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण किये जाने से उत्पन्न हुए खतरे को देखते हुए सामारिक प्रभावकारिता को बनाए रखने में बाधा पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू): (क) से (ख) रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति ने अपनी छठी रिपोर्ट (1995-96) में कहा है कि "बजटीय आवंटन में कमी करने से भारतीय सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने में बाधा आई है"।

स्थायी समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि सरकार को सेनाओं की आक्रमक क्षमताओं में गुणात्मक सुधार लाने और उनकी युद्धक प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए नई शस्त्र प्रणालियों, वायुयानों और पेट्रोल को चरणबद्ध रूप से शामिल किए जाने का कार्यक्रम बनाते हुए शस्त्र प्रणालियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन को प्राथमिकता दी जाए।

रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों से परामर्श करके धन की आवश्यकताओं का आकलन करता है जिसमें रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत आगे चलते रहने वाली और नई योजनाओं पर होने वाला पूर्वानुमानित व्यय भी शामिल होता है। रक्षा मंत्रालय बजटीय सहायता की आवश्यकताएं वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, जो समस्त राष्ट्रीय संसाधनों की उपलब्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए वास्तविक आबंटन के संबंध में निर्णय लेता है।

सरकार, सशस्त्र सेनाओं के उपस्करणों और शस्त्र प्रणालियों के आधुनिकीकरण, उन्हें अद्यतन बनाए जाने और उनका दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के प्रति सजग है। परिणामस्वरूप उपस्करणों तथा अस्त्र-शस्त्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम और सेनाओं की क्षमताओं का उन्नयन करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

12.00 NOON

PAPARS LAID ON THE TABLE

I. Corrigendum to the Economic Survey, 1995-96.

II. Finance Accounts and Appropriation Accounts (1994-95) of the Government of Jammu and Kashmir.

III. Report (1994-95) of the Comptroller and Auditor General of India (Govt. of Jammu and Kashmir)

IV. Reports (1994-95) of the Comptroller and Auditor General of India and Appropriation and Finance Accounts (1994-95)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Corrigendum to the Economic Survey, 1995-96. [Placed in Library See No. L.T. 11696]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 18th July, 1990 issued by the President in relation to the State of Jammu & Kashmir:—

(i) Finance Accounts of the Government of Jammu and Kashmir for the